दिनांक 18.04.2018 को राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह की आठवीं बैठक भारत सरकार के पूर्व सचिव और समूह के अध्यक्ष डॉ. प्रोदीप्तो घोष की अध्यक्षता में दिनांक 18.04.2018 (सोमवार) को सुबह 11.30 बजे राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित की गई। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

प्रारंभ में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों, आमंत्रित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने एक बार फिर नीति आयोग के सदस्य की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की। अध्यक्ष ने बताया कि इस समूह की बैठक माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के साथ आयोजित की गई थी। उन्होंने बैठक में समूह को सौंपे गए कार्य और समूह द्वारा अब तक की गई प्रगति को संबोधित करने में समूह के दृष्टिकोण पर एक प्रस्तुति दी। अध्यक्ष ने बताया कि माननीय मंत्री ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

I. सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम लागत वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग।
II. जहां कहीं स्थलाकृतिक व्यवहार्य रूप से उपस्थित हो, वहाँ भूमि की आवश्यकता को कम करने के लिए जल परिवहन के लिए पाइपलाइनों का उपयोग।
III. समुद्र के पानी के विलवणीकरण और शोधित सीवेज जल द्वारा सिंचाई जल द्वारा तटीय क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने पर विचार करें।
IV. बुलेट ट्रेन परियोजना वित्तपोषण के समान बाहरी उधार के माध्यम से आईएलआर परियोजना का वित्तपोषण, अर्थात् नाममात्र ब्याज दर के साथ सरकार से सरकार दीर्घकालिक संप्रभु ऋण।
V. लिंक परियोजनाओं को प्राथमिकता देना और प्राथमिकता वाले लिंकों (केबीएलपी, पीटीएनएलपी, डीपीएलपी और गोदावरी (एकिनेम्पल्ली) - कावेरी लिंक) के वित्तपोषण के लिए योजना।
VI. आईएलआर परियोजनाएं अधिशेष बेसिनों में बाढ़ और घाटे वाले बेसिनों में सूखे को कम करेंगी। इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।
VII. आईएलआर परियोजनाओं का उपयोग जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है।

VIII. निर्माण उपकरणों आदि पर लगने वाले करों और निर्माण सामग्री आदि पर रॉयल्टी को संबंधित राज्यों की हिस्सेदारी लागत के रूप में माना जा सकता है।

IX. कुछ लिंक नहरों की योजना नौवहन नहरों के रूप में बनाई जा सकती है।

इसके बाद उन्होंने समूह के सदस्य सचिव से एजेंडा मद को चर्चा के लिए का अनुरोध किया।

मद 8.1: 19.03.2018 को आयोजित वित्तीय पहलू पर समूह की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सदस्य सचिव ने बताया कि वित्तीय पहलुओं पर समूह की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त को सदस्यों/विशेष आमंत्रित सदस्यों के बीच दिनांक 05 अप्रैल, 2018 के पत्र सं. एससीआईएलआर/तक/400/12/2017 के माध्यम से परिचालित किया गया था । चूंकि किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए सातवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि परिचालित कार्यवृत के रूप में की गई ।

मद 8.2.1: राजकोषीय संसाधनों के प्रक्षेपण पर नीति आयोग द्वारा प्रस्तुति

नीति आयोग के प्रतिनिधि के बैठक में शामिल नहीं हो पाने के कारण इस मद को एक बार फिर अगली बैठक के लिए टाल दिया गया। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सरकारी वित्त पोषण की सीमा के साथ-साथ निजी क्षेत्र और बाह्य वित्त पोषण पर असर डालने वाले नीतिगत निर्णयों को जानने के लिए नीति आयोग की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

सदस्य सचिव श्री के.पी. गुप्ता ने समूह को बताया कि नीति आयोग ने दिनांक 12.04.2018 के पत्र द्वारा संयुक्त सलाहकार (जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) श्री अविनाश मिश्रा को नदियों को आपस में जोड़ने के लिए गठित कार्यबल के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह में नीति आयोग के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है।

मद 8.2.2: भारतीय बैंकों/वित्तीय संस्थानों से आईएलआर कार्यक्रम के लिए धन के संभावित प्रवाह के अनुमानों पर यस बैंक द्वारा प्रस्तुति,

यस बैंक को वांछित इनपुट उपलब्ध नहीं कराए गए। इस प्रकार वे सातवीं बैठक में सुझाए गए अनुसार अपनी प्रस्तुति को संशोधित नहीं कर सके। यह मद अगली बैठक के लिए टाल दिया गया।

मद 8.2.3: एनपीपी की आईबीडब्ल्यूटी परियोजनाओं का विभिन्न समूहों/उप-समूहों में वर्गीकरण।

केडब्ल्यूडीटी के मूल्यांकनकर्ता और राजविअ के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार श्री एम.के. सिन्हा ने एनपीपी की आईबीडब्ल्यूटी परियोजनाओं को विभिन्न समूहों/उप-समूहों में वर्गीकृत करने पर प्रस्तुति दी और बताया कि एनपीपी के अंतर्गत कुल 30 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें से 14 परियोजनाएं हिमालयी घटक के अंतर्गत हैं और 16 परियोजनाएं प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत हैं। इन लिंकों को निम्नलिखित श्रेणियों/समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत करने का सुझाव दिया गया है:

क- हिमालयी घटक -

समूह -1: ब्रह्मपुत्र बेसिन में मानस और संकोश नदी के अधिशेष पानी पर निर्भर;

(i) मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा (एमएसटीजी)
(ii) फरक्का-सुंदरबन (एफएस)
(iii) गंगा (फरक्का) दामोदर-सुवर्णरेखा (जीडीएस)
(iv) सुवर्णरेखा-महानदी (एसएम)

समूह - 2: नेपाल में कोसी बांध पर आश्रित:

(i) कोसी-मेची
(ii) कोसी-घाघरा

समूह - 3: नेपाल से बहने वाली नदियों पर निर्भर:

(i) गंडक-गंगा (जीजी)
(ii) घाघरा-यमुना (जीवाई)
(iii) शारदा-यमुना (एसवाई)
(iv) यमुना-राजस्थान (वाईआर)
(v) राजस्थान-साबरमती (आरएस)
(vi) चुनार-सोन (सीएस)
(vii) सोन बांध- गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां (एस-एसटीजी)

जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का (जेटीएफ) लिंक मानस-संकोश-तिस्ता गंगा (एमएसटीजी) लिंक का विकल्प है

ख- प्रायद्वीपीय घटक

समूह - 4 : महानदी और गोदावरी नदियों के अधिशेष जल और मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा (एमएसटीजी) लिंक के माध्यम से हिमालयी नदियों के पानी पर निर्भर।

नौ लिंकों की प्रणाली - सभी 9 लिंकों की परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है:

i. महानदी (मणिभद्र)- गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक नहर

ii. गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक नहर
iii. गोदावरी (इंचमपल्ली)- कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक नहर
iv. गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (पुलिचिंतला) लिंक नहर
v. कृष्णा (अलमाटी)- पेन्नार लिंक नहर
vi. कृष्णा (श्रीशैलम)-पेन्नार लिंक नहर
vii. कृष्णा (नागार्जुनसागर)- पेन्नार (सोमशिला) लिंक नहर
viii. कृष्णा (नागार्जुनसागर)- पेन्नार (सोमासिला) लिंक नहर
ix. कावेरी (कट्टलाई)- वैगई-गुंडर लिंक नहर

स्वतंत्र लिंक -

(i) केन-बेतवा (केबी)
(ii) पार-तापी-नर्मदा (पीटीएन)- विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं
(iii) दमनगंगा-पिंजाल (डीपी)
(iv) पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी)-एफआर पूरा हो गया है।
(v) नेत्रावती-हेमावती (एनएच) पीएफआर पूरे कर लिए गए हैं।
(vi) बेदती-वरदा (बीवी) एफआर तैयार करने के लिए कर्नाटक सरकार की सहमति की प्रतीक्षा है।
(vii) पम्बा-अचनकोविल-वैप्पर (पीएवी) -एफआर पूरा हो गया है। केरल विधानसभा ने इस लिंक को लागू नहीं करने के लिए प्रस्ताव पारित किया।

श्री सिन्हा ने यह भी संकेत दिया कि चूंकि ओडिशा और तेलंगाना क्रमशः महानदी बेसिन और गोदावरी बेसिन में अधिशेष पानी के राजविअ द्वारा किए गए अध्ययन से सहमत नहीं हैं, इसलिए उपलब्ध अधिशेष ब्रह्मपुत्र जल के साथ नौ लिंकों की योजना की समीक्षा करने की आवश्यकता है। श्री सिन्हा ने आगे उल्लेख किया कि यद्यपि शारदा-यमुना लिंक सात हिमालयी लिंक प्रणाली (समूह -3) के समूह का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली को पानी की आपूर्ति के लिए कार्यान्वयन के लिए अकेले इस लिंक पर विचार किया जा सकता है क्योंकि शारदा/महाकाली पर पंचेश्वर बांध पर भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौता हो गया है। इस प्रणाली के अन्य लिंकों में लंबा समय लग सकता है क्योंकि गंडक और घाघरा नदियों पर बांधों पर भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौता अभी तक साकार नहीं हुआ है।

समूह के सदस्य सचिव श्री के.पी. गुप्ता ने बताया कि जिन लिंकों **नामत :केन-बेतवा, पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा पिंजाल लिंक** की डीपीआर तैयार की जाती है, उनकी लागत को डीपीआर के अनुसार लिया जाना चाहिए और शेष लिंकों के लिए लागत समूह द्वारा सुझाए गए अनुसार अनुमानित की जा सकती है।

समूह के सभी सदस्य सदस्य सचिव श्री के पी गुप्ता द्वारा दिए गए इस सुझाव से सहमत थे और उन्होंने श्री सिन्हा से अनुरोध किया कि वे व्यक्तिगत लिंकों की लागत और तदनुसार संपूर्ण आईएलआर कार्यक्रम पर काम करें।

मद 8.2.4: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना के रूप में आईएलआर परियोजना की घोषणा की संभावना

प्रोफेसर गोसाईं, आईआईटी दिल्ली ने समूह के सदस्य सचिव से **केन-बेतवा, पार-तापी-नर्मदा, दमनगंगा-पिंजाल** लिंक परियोजनाओं का विस्तृत जल विज्ञानी अध्ययन प्रदान करने का अनुरोध किया , जिसके लिए राजविअ ने पहले ही डीपीआर पूरी कर ली है।

मद 8.3.1 और 8.3.2: समूह के कार्य की प्रगति की समीक्षा और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एक कार्य कार्यक्रम तैयार करना।

(i) अध्यक्ष ने चर्चा के अंत में कार्यक्रम की समीक्षा की और कार्य के नए विषयों को प्रस्तुत किया। लागत आकलन और आईएलआर परियोजनाओं के समूहों के वर्गीकरण के बारे में अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि राजविअ को सौंपा गया कार्य पूरा हो गया है। तथापि, उन्होंने राजविअ को सुझाव दिया कि वह इस विषय पर लगभग 1000 से अधिक शब्दों में एक लेख तैयार करे जिसे समूह की मुख्य रिपोर्ट में शामिल किया जा सके।

(ii) अगली बैठक में यस बैंक के श्री एच सतीश राव, श्री दीपकदास गुप्ता द्वारा एमडीबी, पेंशन निधि और द्विपक्षीय सहायता पर एक पीपीटी पर विचार किया जाना चाहिए।

(iii) समूह ने उच्चतम प्राथमिकता के साथ निम्नलिखित 5 लिंक का सुझाव दिया है -

क) केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी)
ख) दमनगंगा-पिंजाल लिंक परियोजना (डीपीएलपी)
ग) पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना (पीटीएनएल)
घ) गोदावरी (अकिनेमपल्ली) - कावेरी लिंक
ई) शारदा-यमुना लिंक

मद 8.4: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद।

सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श के बाद समूह की अगली बैठक 1 मई, 2018 को पूर्वाह्न 11.30 पर राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में बुलाने का निर्णय लिया गया। ।

बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

अनुलग्नक-I

दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित "नदियों को जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की आठवीं बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों की सूची।

1.	डॉ. प्रदीप्तो घोष, भारत सरकार के पूर्व सचिव और आईएलआर के लिए टास्क फोर्स के सदस्य और प्रतिष्ठित फेलो, टेरी, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री एच. सतीश राव, (सेवानिवृत्त) एडीबी के महानिदेशक बेंगलुरू	सदस्य
3.	श्री एम के मित्तल, निदेशक (वित्त), एनएचपीसी, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री नवीन कुमार मुख्य अभियंता (आईएमओ), सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री प्रणय रंजन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष -सीएफ, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	श्री राणा कपूर, प्रबंध निदेशक और सीईओ, यस बैंक लिमिटेड, मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हुए
6.	श्री के.पी. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), राजविअ, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव
7.	प्रो. ए. के. गोसाईं, सिविल इंजीनियरिंग, आईआईटी, दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य

8.	श्री एम.के. सिन्हा, मूल्यांकनकर्ता, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण और (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियंता, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	श्री राजकुमार पचौरी, मुख्य अभियंता (पीपीओ), सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य
	अन्य अधिकारी	
10.	श्री अनिल कुमार जैन, उप निदेशक (एससीआईएलआर), राजविअ नई दिल्ली	
11.	11 श्री आर के अग्रवाल, सलाहकार, राजविअ, नई दिल्ली	